<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1878/2006/उदयपुर</u>

शंकर भारती पुत्र शम्भू भारती गुसाई निवासी मेवाडो का मठ तहसील कोटडा जिला उदयपुर

....**अपीलांट/वादी**

बनाम

1. अमर भारती पुत्र शम्भू भारती निवासी मेवाडो का मठ तहीसल कोटडा जिला उदयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटडा जिला उदयपुर।

....**रेस्पोन्डेन्ट्स/प्रतिवादीगण**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राम निवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अधिवक्ता, अपीलांट।
विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांकः– 06–08–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील सं. 46/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–01–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट/वादी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडा के समक्ष अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत ग्राम मेवाडो का मठ स्थित वाद पत्र में उल्लेखित परिशिष्ठ ''क'' में वर्णित विवादित आराजियात के संबंध में विभाजन का एक वाद पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाबदावा मय प्रारम्भिक आपत्ति के प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28-3-2003 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा ''नो इन्स्ट्रंक्शन प्लीड'' किया तथा उक्त आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही संस्थित की। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार वाद में 2 तनकीयात करते हुए वादी के वाद में आज्ञा दिनांक 04-04-2003 द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। उक्त डिक्री इस आशय के साथ पारित की गई कि ''वाद वर्णित आराजियात का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच प्रत्येक का 1/2 हिस्सा रखते हुए खाता विभाजन कर दिया जावे। नायब तहसीलदार मेरपुर को बंटवाडा सूचियां तैयार करने के लिए मौका कमीश्नर नियुक्त का आदेश दिया जाता है कि वे वाद वर्णित आराजियात के पक्षकारान को सूचित कर उनकी मौजूदगी में स्थल निरीक्षण कर मौके की स्थिति व आराजियात के गुण, अवगुण को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्षकारान के बीच हिस्सा 1/2 प्रत्येक बंटवारा किए जाने के लिए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर सूचियां पेश करें। इस हेतु टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों का व उसके अन्तर्गत बने हुए नियमों का पालन किया जावे। फीस कमीश्नर पांच सौ रूपये वादी मौके पर अदा करे व बंटवारा का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश, बंटवारा सूची, लगान विभाजन सूची के 25-4-2003 पूर्व पेश हो''। उक्त आदेश की पालना में आदेशिका दिनांक 27-06-2003 द्वारा मौके की बंटवारा रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हुई तथा कालान्तर में विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आज्ञा दिनांक 11-07-2003 पारित करते हुए वाद/वादी व प्रतिवादी संख्या 1 मध्य अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09-02-2004 में अंकन है कि प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी बाबत उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र में समुचित आधार नहीं होने के आधार अपास्त कर दिया। उपखण्ड अधिकारी कोटडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-02-2004 के विरूद्ध प्रतिवादी अमर भारती ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 09-01-2006 द्वारा

स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी कोटडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09-02-2004 को अपास्त कर प्रकरण को विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि तहसीलदार कोटडा को कमीश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वह दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में बोर्ड आफ रेवेन्यु रूल्स 18 से 21 के तहत बंटवाडा रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। कमीश्नर फीस 500/- रूपये अपीलान्ट द्वारा अदा की जायेगी। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09-01-2006 से व्यथित होकर अपीलान्ट/वादी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/वादी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी की अपील अन्तर्गत धारा 223 संधारण योग्य नहीं थी। उनका आगे कहना है कि मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी ने कोई अपील पेश नहीं की। इसके अतिरिक्त अपीलीय न्यायालय ने प्रवितादी की अपील में मामले को प्रतिप्रेषित कर कमीश्नर नियुक्त का आदेश प्रदान करने में भूल की है। उनका तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का अपीलाधीन आदेश केवल मात्र अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रकशन प्लीड जाहिर करने से एकतरका निरस्त करने में भूल की है, जबकि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को निर्णय व डिक्री की जानकारी थी, इसलिए इस आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। इस दृष्टि से भी आलोच्य निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 09-01-2006 निरस्त करते हुए

उपखण्ड अधिकारी कोटडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09-02-2004 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

5. हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

6. प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी के विरूद्ध की गयी एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 28-03-2003 को निरस्त कराने बाबत उसके द्वारा दिनांक 25-07-2003 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार विवेचन हैः-

> 1- चरण संख्या 2 में विवेचन किया गया कि उक्त प्रकरण में पूर्व में पेशी दिनांक 28-03-2003 कों वास्ते शहादत नियत थी लेकिन प्रार्थी स्वयं पिलिया रोग से ग्रसित होने के कारण आप अदालत में उपस्थित नहीं हो सका एवं अपने अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त सूचना नहीं होने से पैरवी से इंकार कर देने से वाद उक्त दिवस को एकतरफा फरमा दिया गया।
>
> 2- चरण संख्या 4 में अंकन है कि वाद के दौरान प्रतिवादी का लडका भी पागल हो गया जिससे उसकी सार सम्भाल करनी पडी है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के कारण प्रतिवादी अपने वाद की पैरवी नहीं कर सका था।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडा के समक्ष अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत ग्राम मेवाडो का मठ स्थित वाद पत्र में उल्लेखित परिशिष्ठ ''क'' में वर्णित विवादित आराजियात के संबंध में विभाजन का एक वाद पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाबदावा मय प्रारम्भिक आपत्ति के प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28-03-2003 के अनुसार अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा नो इन्स्ट्रंक्शन प्लीड किया तथा उक्त आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही संस्थित की। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार वाद में 2 तनकीयात करते हुए

वादी के वाद में आज्ञा दिनांक 04-04-2003 द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। उक्त डिक्री इस आशय के साथ पारित की गई कि ''वाद वर्णित आराजियात का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच प्रत्येक का 1/2 हिस्सा रखते हुए खाता विभाजन कर दिया जावे। नायब तहसीलदार मेरपुर को बंटवाडा सूचिंया तैयार करने के लिए मौका कमीश्नर नियुक्त का आदेश दिया जाता है कि कि वे वाद वर्णित आराजियात के पक्षकारान को सूचित कर उनकी मौजूदगी में स्थल निरीक्षण कर मौके की स्थिति व आराजियात के गुण, अवगुण को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्षकारान के बीच हिस्सा 1/2 प्रत्येक बंटवारा किए जाने के लिए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर सूचियां पेश करें। इस हेतु टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों का व उसके अन्तर्गत बने हुए नियमों का पालन किया जावे। फीस कमीश्नर पांच सौ रूपये वादी मौके पर अदा करे व बंटवारा का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश, बंटवारा सूची, लगान विभाजन सूची के 25-4-2003 पूर्व पेश हो''।

उक्त आदेश की पालना में आदेशिका दिनांक 27-6-2003 द्वारा मौके की बंटवारा रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हुई तथा कालान्तर में विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आज्ञा दिनांक 11-07-2003 पारित करते हुए वादी/वादी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 मध्य अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09-02-2004 में अंकन है कि प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी बाबत उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र में समुचित आधार नहीं होने के आधार अपास्त कर दिया।

7. प्रकरण की परिस्थिति तथा प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी द्वारा किए गए उपरोक्त अंकन के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा मामले में की गयी कार्यवाही का समर्थन नहीं कर सकते। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिन कारणों को प्रकट किया है, उसकी पृष्ठभूमि में विचारण न्यायालय को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में प्रतिवादी के आलोच्य प्रार्थना पत्र निस्तारण कर वाद में आगामी कार्यवाही संस्थित की जानी चाहिए थी। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मामले से जुडे प्रत्येक पक्षकार को समुचित रूप से सुनवाई व साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद उपलब्ध रेकार्ड का विधिक परीक्षण करने के बाद पारित किया गया निर्णय श्रेष्ठकर होता है। हमारी सुविचारित राय में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में अभिवचित तथ्यों की पुष्टि हेतु न्यायालय साक्ष्य की अपेक्षा कर सकता है।

8. उक्त स्थिति में हम वर्तमान में हस्तगत प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का अभिमत व्यक्त नहीं करते हुए केवल मात्र प्रतिवादी के आलोच्य प्रार्थना पत्र को आधारित करते हुए मामले में समस्त अधीनस्थ न्यायलयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्रियों का समर्थन नहीं कर सकते।

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्रियों को अपास्त किया जाकर प्रकरण को विचारण उपखण्ड अधिकारी कोटडा को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है।

10. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09-01-2006 एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडा द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04-04-2003 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 11-07-2003 अपास्त किए जाते है। प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी कोटडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में अंकित कारणों बाबत पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर उनका विधिनुसार परीक्षण करते हुए सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र का अन्तिम निस्तारण करने के बाद लम्बित वाद में विधिनुसार आगामी विचारण करना सुनिश्चित करें। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम निवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य